संख्या-509/2025/911/22-2-2024-17(447)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16469/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024), दिनांक 10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय, ग्राम-नगला उरूआ, थाना-मारहरा, जनपद-एटा का निवासी है। प्रथम केस में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 20-05-2003 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी व चाकू से मारकर बालकिशन उर्फ पप्पन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। दद्वितीय केस में लूट के इरादे से दिनांक 25-08-1999 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम व तमंचे से गोली मारकर शिशुपाल सिंह उर्फ गांधी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-24/2003, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.ज.जा.) अत्याचार निवारण अधिनियम गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 02.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-113/2000, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-04, एटा के आदेश दिनांक 02.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 30.09.2023 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह 05 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 20-05-2003 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी व चाकू से मारकर बालकिशन उर्फ पप्पन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। दद्वितीय केस में लूट के इरादे से दिनांक 25-08-1999 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम व तमंचे से गोली मारकर शिशुपाल सिंह उर्फ गांधी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ (बन्दी संख्या-14258) पुत्र श्री लालसहाय, निवासी जनपद-एटा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-509/2025/911(1)/22-2-2024-17(447)/2024,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-8461/2024 पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-509/2025/911/22-2-2024-17(447)/2024

दिनांकः 29 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय, ग्राम-नगला उरूआ, थाना-मारहरा, जनपद-एटा का निवासी है। प्रथम केस में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 20-05-2003 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी व चाकू से मारकर बालकिशन उर्फ पप्पन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। दद्वितीय केस में लूट के इरादे से दिनांक 25-08-1999 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम व तमंचे से गोली मारकर शिशुपाल सिंह उर्फ गांधी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-24/2003, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.ज.जा.) अत्याचार निवारण अधिनियम गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 02.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-113/2000, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-04, एटा के आदेश दिनांक 02.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 30.09.2023 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह 05 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 20-05-2003 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी व चाकू से मारकर बालकिशन उर्फ पप्पन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। दद्वितीय केस में लूट के इरादे से दिनांक 25-08-1999 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम व तमंचे से गोली मारकर शिशुपाल सिंह उर्फ गांधी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पुत्तू उर्फ हरवीर उर्फ फतुआ पुत्र श्री लालसहाय को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in